भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2953
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

झारखंड में पीएमएवाई-जी के तहत लंबित आवेदन

2953. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की शुरुआत से लेकर अब तक इस पर व्यय की गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमएवाई-जी की शुरुआत से लेकर अब तक झारखंड में लाभार्थियों को आवंटित किए गए घरों की राज्यवार और जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वर्तमान में झारखंड में राज्यवार और जिलावार कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) पीएमएवाई-जी को आवंटित राज्यवार और जिलावार कुल धनराशि कितनी है जिसका उपयोग समय-सीमा के अंदर नहीं किया जा सका?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है ताकि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की जा सकें। 12.03.2025 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3.79 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3.56 करोड़ आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.72 करोड़ आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना की शुरुआत से वर्ष 2016-17 से 2024-25

12.03.2025 तक मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय अंश और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) मंत्रालय राज्यों को लक्ष्य आवंटित करता है और आगे जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को लक्ष्य का आवंटन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। झारखंड राज्य द्वारा आवंटित जिला-वार लक्ष्यों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत परिवारों से किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 और अंतिम आवास+ , 2018 सूची के आधार पर पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) से की जाती है। इसके अलावा , केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी को मार्च , 2029 तक जारी रखने का अनुमोदन दिया है।

भारत सरकार ने संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करते हुए योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास + 2018 सूची को अद्यतन करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुरूप, योजना के अंतर्गत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण आवास +2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है जिसे 17.09.2024 को आरंभ किया गया है। ऐप में पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से स्व-सर्वेक्षण और सहायता प्राप्त सर्वेक्षण दोनों का प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सर्वेक्षणकर्ताओं के पंजीकरण से सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। इसके बाद 27.12.2024 से आवास+ 2024 परिवार सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है। आवास+ 2024 सर्वेक्षण पूरा करने की प्रारंभिक समय सीमा 31.03.2025 है।

(घ) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत केंद्रीय सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक इकाई मानकर सीधे जारी की जाती है। इसके बाद ये निधियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा विभिन्न जिलों में लाभार्थियों को जारी की जाती है। योजना की शुरुआत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक 12.03.2025 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय अंश और राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

अनुबंध-I

झारखंड में पीएमएवाई -जी के अंतर्गत लंबित आवेदन के संबंध में लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (क) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

रु करोड़ में

प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक (दिनांक 12.03.2025 की स्थिति के अनुसार) मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय अंश और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताये गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा			
क्र सं.	**राज्य**	**मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय अंश***	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय @**
1	**अरुणाचल प्रदेश**	441.27	421.88
2	**असम**	26,816.16	28,235.42
3	**बिहार**	30,497.32	49,702.66
4	**छत्तीसगढ़**	14,366.73	19,109.03
5	**गोवा**	2.85	3.39
6	**गुजरात**	5,027.02	7,954.52
7	**हरियाणा**	347.25	422.64
8	**हिमाचल प्रदेश**	861.47	934.01
9	**जम्मू और कश्मीर**	3,802.81	4,135.67
10	**झारखंड**	12,607.21	20,628.47
11	**केरल**	260.32	540.42

12	मध्य प्रदेश	33,089.43	48,360.57
13	महाराष्ट्र	14,662.69	19,131.40
14	मणिपुर	783.95	673.25
15	मेघालय	2,251.24	2,350.46
16	मिजोरम	319.01	336.40
17	नागालैंड	531.47	556.53
18	ओडिशा	20,758.72	32,566.08
19	पंजाब	380.58	614.08
20	राजस्थान	14,018.34	21,371.95
21	सिक्किम	15.67	18.54
22	तमिलनाडु	5,695.09	8,179.24
23	त्रिपुरा	4,782.21	4,874.12
24	उत्तर प्रदेश	27,195.68	44,175.86
25	उत्तराखंड	861.90	900.53
26	पश्चिम बंगाल	25,797.53	41,985.25
27	अंडमान और निकोबार	24.62	17.67
28	दादरा और नगर हवेली	87.71	142.81
29	दमन और दीव	0.59	0.42

30	**लक्षद्वीप**	0.71	0.59
31	**पुदुचेरी$**	-	-
32	**आंध्र प्रदेश**	1,067.36	1,205.63
33	**कर्नाटक**	2,002.07	1,514.95
34	**तेलंगाना$**	190.79	-
35	**लद्दाख**	21.99	21.08
	कुल	**2,49,569.76**	**3,61,085.53**

*पीएम_जनमन सहित

@इसमें राज्य अंश भी शामिल है

$ तेलंगाना राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं

अनुबंध-II

झारखंड में पीएमएवाई -जी के अंतर्गत लंबित आवेदन के संबंध में लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत झारखंड राज्य द्वारा आवंटित लक्ष्यों का जिला-वार ब्यौरा

क्र सं	जिले का नाम	राज्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्य [संख्या में]
1	बोकारो	91,508
2	चतरा	1,00,537
3	देवघर	93,719
4	धनबाद	82,674
5	दुमका	1,20,350
6	पूर्वी सिंहभूम	51,766
7	गढ़वा	1,38,279
8	गिरिडीह	1,34,950
9	गोड्डा	66,120
10	गुमला	65,420
11	हजारीबाग	73,722
12	जामताड़ा	71,002
13	खूंटी	39,689
14	कोडरमा	21,826
15	लातेहार	69,936

16	लोहरदगा	50,091
17	पाकुर	77,178
18	पलामू	2,04,494
19	रामगढ़	30,791
20	रांची	1,03,200
21	साहेबगंज	1,11,271
22	सरायकेला खरसावां	78,976
23	सिमडेगा	53,613
24	पश्चिमी सिंहभूम	72,022
	कुल	**20,03,134**